एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु 1000

Rs 1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

श्रीमती सुशीला यादव व श्रीमती किताबी देवी चेरीटेबिल ट्रस्ट का ट्रस्टडीड

यह ट्रस्टडीड श्री अशोक कुमार यादव पुत्र श्री रामसिंह यादव निवासी बैंक कालोनी, शंकर टाकीज के निकट, मैनपुरी ने [illegible] इस ट्रस्ट के गठन कर्ता हैं, द्वारा आज दिनांक 20.01.2010 को तैयार करके प्रस्तुत की गयी।

इस ट्रस्ट के गठनकर्ता श्री अशोक यादव इसका निर्माण इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि शैक्षणिक एवं सामाजिक कल्याण एवं विकास के क्षेत्र में इस ट्रस्ट के माध्यम से सकारात्मक भूमिका का निर्वाह किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु गठनकर्ता द्वारा ट्रस्ट की परिसम्पत्ति के रूप में 51,000 (इक्यावन हजार रुपये) एकत्रित किया है।

ट्रस्ट की नियमावली निम्नवत् है

1. ट्रस्ट का नाम : श्रीमती सुशीला यादव व श्रीमती किताबी देवी चेरीटेबिल ट्रस्ट
2. ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय : बैंक कालोनी मैनपुरी
3. ट्रस्ट के उद्देश्य निम्नांकित होंगे :

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 861094

4. ट्रस्ट के ट्रस्टीगण–

ट्रस्टी का नाम	पिता/पति/ का नाम	पता	आयु
1. श्री अशोक कुमार यादव	श्री रामसिंह यादव	बैंक कॉलोनी, मैनपुरी	40
2. श्रीमती किरन यादव	श्री अशोक कुमार यादव	बैंक कॉलोनी, मैनपुरी	30
3. श्री रामसिंह	श्री नत्थू सिंह	बैंक कॉलोनी, मैनपुरी	60
4. श्री देवपाल सिंह	श्री रज्जन लाल	सुटियानी, ताखा, इटावा	32
5. श्रीमती पुष्पा देवी	श्री देवपाल सिंह	सुटियानी, ताखा, इटावा	30

क– श्री अशोक कुमार यादव ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी होगें व श्रीमती किरन यादव ट्रस्ट की ज्वांन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी होंगी तथा ये दोनो अपने–अपने पदों पर आजीवन बनें रहेंगे, जब तक कि इनमें से कोई स्वेच्छा से अपना पद त्याग नहीं करता है। यदि आकस्मिक रुप से अथवा स्वेच्छा से पद त्याग करने पर, मैनेजिंग ट्रस्टी का पद रिक्त होता है तो ज्वांइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी स्वत: मैनेजिंग ट्रस्टी का रिक्त पद ग्रहण कर लेगा तथा यदि ज्वांइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी का पद रिक्त होता है तो शेष ट्रस्टीगण अपने में से मैनेजिंग ट्रस्टी/ज्वांइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी को को–आप्ट कर लेंगे।

ख– अन्य ट्रस्टीगण में से दो–दो की संख्या में प्रति तीन वर्ष बाद रिटायर्ड होते रहेंगे। प्रथम दो ट्रस्टी इस ट्रस्ट के गठन की तिथि से तीन वर्ष बाद रिटायर्ड होगें। रिटायर हुए ट्रस्टीगण पुन: को–आप्ट किये जाने को अर्ह होगें।

ग– मैनेजिंग ट्रस्टी एवं जोइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी अपनी इच्छा से किसी भी ऐसे व्यक्ति जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो सकें। ट्रस्ट को ट्रस्टी को–आप्ट कर सकेंगें।

घ– ट्रस्ट के समस्त ट्रस्टीगण की अधिकतम संख्या आठ से अधिक नहीं होगी।

5. प्रबन्धन –

अ– ट्रस्ट के प्रबंन्धन एवं नियन्त्रण के पूर्ण अधिकार इसके ट्रस्टीगण में निहित होगें। ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की ओर से चल व अचल सम्पत्ति क्रय–विक्रय करने, ट्रस्ट के स्वामित्व की संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करने एवं कब्जा प्रदान करने, शिक्षण संस्थाओं के लिए व ट्रस्ट के लिए उपयोगी भवनों का निर्माण कराने, ट्रस्ट के हक में फन्ड, चल व अचल सपंत्ति एवं पूजी निवेश की आवश्यकतानुशार व्यवस्था करने का पूर्ण अधिकार होगा।

ट्रस्टीगण का यह भी वैधानिक अधिकार होगा कि वे समय–समय पर ट्रस्ट के सुचारु प्रबंन्धन एवं प्रशासन हेतु आवश्यकतानुशार ट्रस्ट के नियमों व उपनियमों में परिवर्तन अथवा संशोधन करें अथवा नये नियमों/उपनियमों का निर्माण करें। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे नियम व उपनियम आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 (15) – 11 से 13 एवं 80जी के प्रावधानों से निर्देशित हों।

पुष्पा देवी

देवपाल सिंह